

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ (गिरीडीह)
वाद सं०-315/2020

बसंती देवी वगैरह

-बनाम्-

उमेश यादव वगैरह

आदेश

05.03.2021 थाना प्रभारी, देवरी के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित प्रथम पक्ष की ओर से न्यायालय में कोई पक्ष अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा द्वितीय पक्ष की ओर से वर्ष 1961 के खरीदगी दस्तावेज एवं सरकारी लगान के भुगतान के आधार पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न किये जाने संबंधी प्रस्तुत कथन एवं साक्ष्य तथा पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)